इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 सितम्बर 2015—आश्विन 3, शक 1937

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2015

क्र.एफ ए 5-04-2015-एक(1).—उच्च न्यायालय, न्यायाधिपतिगण (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, जस्टिस श्री एम. के. मुदगल, उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित विवरण अनुसार कम्युटेड अवकाश स्वीकृत करते हैं:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	20 से दिनांक 24 जुलाई 2015.	05	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 एवं 26 अगस्त 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

भोपाल, दिनांक 15 सितम्बर 2015

क्र. एफ 05-08-2014-एक(1).—राज्य शासन द्वारा माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री बी. डी. राठी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर को निम्नांकित विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

किया जाता है:—

अ. क्र.	अवकाश अवधि	कुल दिन	अवकाश का प्रकार	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	24 से दिनांक 28 अगस्त 2015 तक.	05	पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश.	अवकाश के पूर्व दिनांक 22 एवं 23, अगस्त 2015 तथा अवकाश के पश्चात में दिनांक 29 एवं 30 अगस्त 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति सहित.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 सितम्बर 2015

क्र. एफ 1(ए) 3-2012-ब-2-दो.—श्री गौरव कुमार तिवारी, भा.पु.से. पुलिस अधीक्षक बालाघाट को दिनांक 22 अगस्त से 5 सितम्बर 2015 तक, पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री गौरव कुमार तिवारी, भा.पु.से. की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री नीरज सोनी, रा.पु.से. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बालाघाट द्वारा अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री गौरव कुमार तिवारी, भा.पु.से. को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न, पुलिस अधीक्षक बालाघाट के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

(4) अवकाशकाल में श्री गौरव कुमार तिवारी, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री गौरव कुमार तिवारी, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2015

क्र. एफ 1(ए) 155-1993-ब-2-दो.—श्री राजेश गुप्ता, भा.पु.से. पुलिस महानिरीक्षक (गुप्त) एवं विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, संस्कृति विभाग तथा प्रभारी सॉची, बोद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, भोपाल अपनी बीमारी की जांच एवं डॉ. की सलाह हेतु दिनांक 13 अगस्त 2015 बाम्बे हास्पिटल, मुम्बई गये थे. अत: अवकाश के उपभोग उपरांत दिनांक 13 अगस्त 2015 का एक दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) उक्त अवकाश के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से दो दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री राजेश गुप्ता, भा.पु.से. को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा. जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश गुप्ता, भा.पु.से. उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2015

क्र. एफ 1(ए) 75-2008-ब-2-दो.—श्री संजय कुमार, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, सतना को पुलिस मुख्यालय द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर 2015 से 2 जनवरी 2016 तक कुल आठ दिवस एवं दिनांक 24-25 दिसम्बर 2015 एवं 3 जनवरी 2016 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत अर्जित अवकाश की अवधि में राज्य शासन द्वारा उन्हें खण्ड वर्ष 2014-17 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2015-16 में गृह नगर अवकाश यात्रा के बदले में भारत भ्रमण की पात्रता के तहत् सपरिवार "गोवा" अवकाश यात्रा पर परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:—

1. श्री संजय कुमार — स्वयं
2. श्रीमती नबीना — पत्नी

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री संजय कुमार, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला उपाध्याय, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 10 सितम्बर 2015

फा. क्र. 1(बी) 15-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा

(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद पर उनके नाम के सामने दर्शाये अनुसार उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये होशंगाबाद सत्र खण्ड के होशंगाबाद राजस्व की तहसीलों के लिये एतद्द्वारा, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है:—

नाम	पद
(1)	(2)
श्री शंकरलाल मालवीय पुत्र श्री बारेलाल मालवीय.	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक तहसील सोहागपुर, जिला होशंगाबाद.
श्री सुनील चौधरी पुत्र श्री मनोहर लाल	अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/ अतिरिक्त लोक अभियोजक तहसील पिपरिया, जिला होशंगाबाद.

भोपाल, दिनांक 11 सितम्बर 2015

फा. क्र. 1(बी)7-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री मदन प्रताप सिंह पुत्र स्व. श्री तेज बहादुर सिंह अधिवक्ता जिला सीधी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये सीधी सत्र खण्ड के सीधी राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

फा. क्र. 1(बी)8-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री किशोर श्रीवास्तव पुत्र श्री शिव बिहारी श्रीवास्तव अधिवक्ता जिला पन्ना को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये पन्ना सत्र खण्ड के पन्ना राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2015

फा. क्र. 1(बी)6-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री स्नेह प्रकाश सोनी पुत्र श्री मदनलाल जी वर्मा, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये नीमच सत्र खण्ड के नीमच राजस्व जिले के लिये शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक जिला नीमच नियुक्त करता है. तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

टीप.—श्री स्नेह प्रकाश सोनी की जन्म तिथि 04-11-1964 (चार नवम्बर उन्नीस सौ चौसठ) और उनकी आयु 62 वर्ष की अवधि दिनांक 4-11-2026 (चार नवम्बर दो हजार छब्बीस) को पूर्ण होगी.

फा. क्र. 1(सी)23-2008-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10-10-2014 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल, मध्यप्रदेश के दाण्डिक प्रकरणों, अपील पुनरीक्षण एवं अन्य विविध दाण्डिक प्रकरणों में विशेष पुलिस स्थापना (लोकायुक्त संगठन) भोपाल की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त श्री जयसिंह डी. सूर्यवंशी अधिवक्ता ग्वालियर को 40,000/- (चालीस हजार) (जिसमें संगठन द्वारा प्रदत्त दाण्डिक से भिन्न मामलों का पारिश्रमिक भी शामिल है) के मासिक पारिश्रमिक पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24(8) के अंतर्गत उनके कार्यकाल में दिनांक 9 अक्टूबर 2015 से 8 अक्टूबर 2016 तक की अभिवृद्धि करता है. इसके अलावा वे संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय भी पा सकेंगे. प्रत्येक माह के बिल की राशि का भुगतान विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त संगठन भोपाल मध्यप्रदेश करेगा.

फा. क्र. 1(सी)13-2013-इक्कीस-ब(दो).—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26 जुलाई 2013 द्वारा नियुक्त श्री चौधरी जोगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता नरसिंहपुर को उनके कार्यकाल समाप्त होने के दिनांक 26 जुलाई 2015 से पुनः दो वर्ष की कालावधि के लिये दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 52 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एतद्द्वारा विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन जिला नरसिंहपुर के लंबित प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

श्री चौधरी जोगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता नरसिंहपुर को इस विभाग के आदेश क्रमांक 17(ई)60-95-इक्कीस-ब(दो) दिनांक 3 अक्टूबर 2012 के अनुसार फीस का भुगतान प्रशासकीय विभाग द्वारा किया जावेगा.

फा. क्र. 1(सी)07-इक्कीस-ब(दो) 2015.—दण्ड संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24(8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा श्री सविता तिवारी, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन को रीवा संभाग के विशेष न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदस्थापना तक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ मिश्र, अपर सचिव.

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अगस्त 2015

क्र. एफ 11-26-2015-बी-ग्यारह-**संशोधन.**—राज्य शासन द्वारा विभागीय आदेश क्रमांक एफ 11-26-2015-बी-ग्यारह, दिनांक 28 जुलाई 2015 से जारी "मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015" के नियम 9 में किये गये आंशिक संशोधन को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :—

1. उक्त आदेश की कंडिका 4 निम्नानुसार पढ़ी जावे.—

"4. विद्यमान नियम 9(vi) के पश्चात् निम्नानुसार नया नियम 9(vii) अंत:स्थापित किया जाता है:—

"9(vii)-विकसित तथा विकसित किये जाने वाले ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जो जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के प्रबंधन में है, उनके लिये यह आवश्यक होगा कि आवंटन के पूर्व दरों का अनुमोदन उद्योग आयुक्त से कराया जाये. औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों के संदर्भ में उनके संचालक मंडल से अनुमोदन आवश्यक होगा."

2. विद्यमान नियम 9(iv) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाता है :—

"परंतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा पूर्व से विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में हेतु अनुमानित वार्षिक संधारण व्यय का आंकलन करेंगे तथा इसे समानुपातिक रूप से कुल आवंटन योग्य क्षेत्र पर प्रति वर्गमीटर अथवा 10 रुपये प्रति वर्गमीटर के आधार पर गणित किया जावेगा, इनमें जो भी कम हो, आवंटी द्वारा उसे आवंटित क्षेत्रफल पर वार्षिक संधारण शुल्क देय होगा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव.

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2015

क्र. एफ 2-99-2011-1-पचपन.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4-3-2014 द्वारा डॉ. सविता वर्मा, प्राध्यापक पैथोलोजी विभाग, चिकित्सा महाविद्यालय, सागर की सेवाएं कुल सचिव (रजिस्ट्रार) मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के पद पर इनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिनियुक्ति पर की गई थी. उक्त अवधि दिनांक 12 मार्च 2015 समाप्त हो चुकी है.

(2) अत: राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ. सविता वर्मा, प्राध्यापक पैथोलोजी विभाग की सेवाएं वापस लेते हुए पुन: प्राध्यापक पैथोलोजी विभाग महाविद्यालय, सागर के पद पर पदस्थ किया जाता है.

(3) इसी के साथ ही डॉ. एस. पी. पाण्डे, प्राध्यापक फार्माकोलोजी विभाग चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर की सेवाएं कुल सचिव (रजिस्ट्रार) मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर के पद पर इनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपी जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शर्मिला ठाकुर, अवर सचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2015

क्र. एफ 48-01-2015-बीस-3.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 6 अगस्त 2015 जारी आदेश को निरस्त करते हुए, मध्यप्रदेश प्राथमिक, मिडिल स्कूल तथा माध्यमिक शिक्षा (पाठ्य पुस्तकों संबंधी व्यवस्था) नियम, 1974 के नियम 3 के उपनियम (1) से (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विषय पर जारी की गई समस्त पूर्व अधिसूचनाओं तथा आदेशों को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नानुसार पाठ्य पुस्तक स्थायी समिति का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित अध्यक्ष/सदस्य होंगे :—

स. क्र.	नाम व पता	पद
(1)	(2)	(3)
1	डॉ. गोविन्द प्रसाद शर्मा, हेलीपेड कॉलोनी, लश्कर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश	अध्यक्ष
2	श्री भागीरथ कुमरावत, ई-7/45 बंगला क्षेत्र, उत्तर तात्याटोपे नगर, भोपाल, मध्यप्रदेश	सदस्य

(1)	(2)	(3)
3	डॉ. गिरीश अग्निहोत्री, 100/8 नर्मदानगर, ग्वारीघाट रोड, जबलपुर, मध्यप्रदेश	सदस्य
4	श्री अनिल चतुर्वेदी, 24, राजस्व ग्राम, छत्री बाग, इन्दौर, मध्यप्रदेश	सदस्य
5	श्री सुभाष गुप्ता, 108, गोयल नगर, इन्दौर, मध्यप्रदेश	सदस्य
6	श्री मुकेश तिवारी, गुरूद्वारा रोड, वार्ड नं. 16, शहडोल, मध्यप्रदेश	सदस्य
7	डॉ. चन्द्रदेव अष्ठाना, बी-28, गोविन्दपुरी, विश्वविद्यालय मार्ग, ग्वालियर, मध्यप्रदेश	सदस्य
8	डॉ. नाथूराम राठौड़, एम. आई. जी. 383, विवेकानंद नगर, दमोह, मध्यप्रदेश	सदस्य
9	डॉ. रघुवीर गोस्वामी, सी-176, संगम गार्डन, खजूरीकलां, पिपलानी, भोपाल, मध्यप्रदेश	सदस्य
10	डॉ. पूजा उपाध्याय, एफ 2/12 आवासीय परिसर, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन, मध्यप्रदेश	सदस्य
11	डॉ. गोविन्द रामानी, प्रताप कॉलोनी, हरदा, मध्यप्रदेश	सदस्य

निम्नलिखित शासकीय पदेन अधिकारियों के नाम.—

10. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश भोपाल. – सदस्य

11. आयुक्त, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश, भोपाल. – सदस्य

12. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल. – सदस्य

13. प्रबंध संचालक, म. प्र. पाठ्य पुस्तक निगम, म. प्र. भोपाल. – सदस्य

14. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्-एक प्रतिनिधि मध्यप्रदेश, भोपाल. – सदस्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2015

क्र. एफ 50-8-2015-बीस-3.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 6 अगस्त 2015 को निरस्त करते हुए, माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 का अध्याय दूसरा, की धारा 4 की विभिन्न उपधाराओं के अन्तर्गत राज्य सरकार, एतद्द्वारा, माध्यमिक शिक्षा मण्डल में निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्य नामांकित किया जाता है :—

क्रमांक	श्रेणी	नामांकित व्यक्ति का विवरण
(1)	(2)	(3)
1	मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के तीन प्राचार्य.	(1) श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, प्राचार्य, सरस्वती विद्या मन्दिर बालगढ़, जिला देवास, मध्यप्रदेश. (2) श्री गिरधारी लाल नाईक, प्राचार्य, शास. उ. मा. वि. कारंजा, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश. (3) श्रीमती सुनीता पाण्डे, प्राचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर पिछोर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश.

(1)	(2)	(3)
2	मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों के 06 अध्यापक.	(1) श्री संतोष यादव, व्याख्याता, शा. उत्कृष्ट मा. वि. हरदा, मध्यप्रदेश.
		(2) श्रीमती कल्पना मिश्रा, व्याख्याता, स. वि. मं. बालिका विद्यालय, नरसिंह मंदिर, जबलपुर, मध्यप्रदेश.
		(3) श्री दिनेश निरिया, व्याख्याता, स. वि. मं., डिण्डौरी, मध्यप्रदेश.
		(4) श्री अरूण शुक्ला, व्याख्याता, लोकमान्य तिलक उ. मा. वि. उज्जैन, मध्यप्रदेश.
		(5) श्री दुर्गादास उइके, उच्च श्रेणी शिक्षक, शास. हाईस्कूल बघोली, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश.
		(6) श्री अश्विनी पाठक, व्याख्याता, स. वि. मं. विजय नगर, देवास, मध्यप्रदेश.
3	स्थानीय निकायों को सम्मिलित करते हुए प्रबंध का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति जो मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था चलाते हो.	(1) श्री प्रकाश रोकड़े, मा. दिगम्बर राव तिजारे बाल कल्याण शिक्षण समिति दुपाड़ा मार्ग शाजापुर, मध्यप्रदेश.
		(2) श्री रामकुमार भावसार, 1806 'प्रज्ञादीप' हर्षवर्धन नगर, माता मंदिर के पास, भोपाल, मध्यप्रदेश.
		(3) श्रीमती प्रभा मिश्रा, प्राचार्य, शा. महारानी लक्ष्मीबाई कन्या उ. माध्यमिक विद्यालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश.
4	मान. विधायक	(1) श्री कैलाश जाटव, गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश
		(2) श्री ओम प्रकाश सखलेचा, जावद, जिला नीमच, मध्यप्रदेश
		(3) श्री कलसिंह भाबर, थांदला, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश
		(4) श्री अरूण भीमावद, शाजापुर, मध्यप्रदेश
		(5) श्री शैलेन्द्र जैन, सागर, मध्यप्रदेश.
5	अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं या प्रशिक्षण महाविद्यालय का प्राचार्य.	(1) श्रीमती स्मिता भवालकर, प्राचार्य, सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्यप्रदेश.
6	ऐसे हित का प्रतिनिधित्व जो अन्यत्र नहीं है	(1) डॉ. सुभाष गुप्ता, उपाध्यक्ष, सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्यप्रदेश.
		(2) श्री शिरोमणि दुबे, जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश.

(2) उपरोक्त के संबंध में माध्यमिक शिक्षा मण्डल स्तर से नियमानुसार निर्देश जारी किया जाय.

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2015

क्र. एफ 48-01-2015-बीस-3.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 25 अगस्त 2015 द्वारा पाठ्य पुस्तक की स्थाई समिति के गठन संबंधी आदेश में सरल क्रमांक 14 पर टंकन त्रुटि के कारण "राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्-एक प्रतिनिधि म. प्र. भोपाल टंकित है", जबकि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्-एक प्रतिनिधि म. प्र. भोपाल होना चाहिए.

(2) अतः राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के स्थान पर, राज्य शैक्षिक अनुसंधान पढ़ा जाये. शेष आदेश यथावत रहेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. तनवानी, अवर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 सितम्बर 2015

क्र. एफ 1(ए)10-2004-ए-सोलह .—मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, न्यायमूर्ति श्री जी. एस. सोलंकी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, को मध्यप्रदेश औद्योगिक न्यायालय के अध्यक्ष के रूप में, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

No. F.1 (A)-10-2004-A-XVI.—In exercise of powers conferred by sub-section-9 of the Madhya Pradesh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of the 1960) the State Government hereby appoints Justice Shri G. S. Solanki, Retired Judge of Madhya Pradesh High Court, as President of the Madhya Pradesh Industirial Court with effect from the date, he takes over charge.

क्र. एफ 1(ए)10-2004-ए-सोलह .—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (क्रमांक 14 सन् 1947) की धारा 7-ए की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, न्यायामूर्ति श्री जी. एस. सोलंकी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश को मध्यप्रदेश औद्योगिक न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी के रूप में, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है.

No. F.1 (A)-10-2004-A-XVI.—In exercise of powers conferred by sub-section-2 of Section 7-A of the Industrial Disputes Act, 1947 (No. 14 of the 1947) the State Goernment hereby appoints Justice Shri G. S. Solanki, Retired Judge of Madhya Pradesh High Court as Presiding Officer of the State Industrial Tribunal, with effect from the date, he takes over charge.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वार्ष्णेय, प्रमुख सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 सितम्बर 2015

क्र. एफ-3-9-2009-तेरह.—सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्र. ई-1-340-2015-5-एक, दिनांक 15 सितम्बर 2015 के अनुसरण में राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री मुकेश चन्द्र गुप्ता (भाप्रसे-1998) को मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश चौरसिया, उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2015

क्र. 1184-1981-2014-ए-सोलह.—मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (27 सन् 1960) की धारा 43 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह अधिसूचित करती है कि शाजापुर के स्थानीय समाधनकर्ता को संदर्भित श्री नंदकिशोर पिता रामचंद्र तथा नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित 47 अन्य श्रमिकों एवं धनलक्ष्मी सॉलवेक्स प्रायवेट लिमिटेड, शाजापुर के मध्य औद्योगिक विवाद क्रमांक 2-एम.पी.आई.आर.-14 में उसमें उल्लिखित औद्योगिक विषयों के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका है :—

सारणी

कार्यालय श्रम पदाधिकारी, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

सेवा से पृथक धनलक्ष्मी के श्रमिकों की सूची

स. क्र.	श्रमिक का नाम	पद	नियुक्ति का वर्ष
(1)	(2)	(3)	(4)
1	नन्दकिशोर पिता रामचन्द्र जी माहेश्वरी	बारहाना सुपरवाईजर	2006
2	अनूप पिता नारायण प्रसाद शर्मा	गोडाउन सुपरवाईजर	2006
3	देवीसिंह पिता रतिरामजी कुशवाह	बायलर ऑपरेटर	2011
4	परमानन्द पिता केसरदार बेरसी	रिफायनरी ऑपरेटर	2008
5	नागेश्वर पिता देवीलाल शर्मा	गोडाउन असिस्टेन्ट	2008

(1)	(2)	(3)	(4)
6	भारतसिंह पिता नागूलाल पोसवाल	एस.ई.पी. असिस्टेन्ट	2011
7	आबिद शाह पिता मन्नू शाह	वेल्डर	2012
8	शादाब पिता सलीम एहमद	रिफायनरी असिस्टेन्ट	2010
9	प्रदीप कुमार पिता रमेशचन्द्र जैन	गोडाउन असिस्टेन्ट	2009
10	राहुल पिता जगदीश चन्द्र गोस्वामी	ई.टी.पी. असिस्टेन्ट	2006
11	रामप्रसाद पिता घांसीराम देवडा	बायलर ऑपरेटर	2011
12	जगदीश पिता नारायण चौहान	साईलो असिस्टेन्ट	2012
13	रामप्रसाद पिता भुवन जी चौधरी	रिफायनरी ऑपरेटर	2011
14	रमेश पिता कन्हैयालाल चौधरी	रिफायनरी ऑपरेटर	2011
15	रामचन्द्र पिता छीताजी चौधरी	रिफायनरी ऑपरेटर	2011
16	विष्णु पिता नगजीराम प्रजापति	फायरमेन ऑपरेटर	2013
17	गोरधन पिता नन्दरामजी प्रजापति	बायरलर ऑपरेटर	2006
18	विक्रमसिंह पिता भागीरथ घटोदा	एस.ई.पी. ऑपरेटर	2012
19	शिवराज पिता केसर सिंह राठौर	ई.टी.पी. असिस्टेन्ट	2013
20	अशोक पिता गेंदालाल चौधरी	एस.ई.पी. असिस्टेन्ट	2012
21	प्रवीण पिता रामप्रसाद जी चौधरी	वेल्डर	2012
22	दिनेश पिता हरि पोरवाल	थर्माकुल ऑपरेटर	2011
23	शकील पिता रसुल खां	एस.ई.पी. ऑपरेटर	2006
24	जलमसिंह पिता मांगीलालजी	साईलो ऑपरेटर	2013
25	जाकिर पिता अ. अजीज	गोडाउन सुपरवाईजर	2006
26	कमलसिंह पिता धनसिंह	गोडाउन सुपरवाईजर	2011
27	अखिलेश पिता मूलचन्द आर्य	गोडाउन असिस्टेन्ट	2012
28	दीपक पिता काशीराम कुशवाह	प्रेप ऑपरेटर	2006
29	श्रीराम पिता लक्ष्मीनारायण वर्मा	गोडाउन असिस्टेन्ट	2010
30	दीपक पिता मोहनलाल माहेश्वरी	गोडाउन असिस्टेन्ट	2011
31	मनोज पिता किरनसिंह भदौरिया	तोलकांटा ऑपरेटर	2007
32	महेश पिता रामचन्द्र शर्मा	गोडाउन असिस्टेन्ट	2012
33	मो. शाहनवाज पिता मो. साजिद खां	कमर्शियल असिस्टेन्ट	2008
34	राजेश पिता बाबूलाल जी	प्रेप असिस्टेन्ट	2013
35	मो. आमिर हबीब पिता मो. जाहिद	कमर्शियल असिस्टेन्ट	2008
36	महेश राव पिता दत्ता राव थोपटे	गोडाउन सुपरवाईजर	2007
37	दिलीप पिता काशीराव कुशवाह	लेबोरेटरी असिस्टेन्ट	2006
38	आर. एन. विश्वकर्मा	एस. ई. पी. इन्चार्ज	2012
39	दिनेश पिता शिवगिरी	स्टोर असिस्टेन्ट	2006
40	पनव पिता ओमप्रकाशजी गोस्वामी	फायरमेन ऑपरेटर	2013
41	धर्मेन्द्र पिता ब्रजकिशोर शर्मा	ई.टी.पी. ऑपरेटर	2012
42	महेश पिता प्रेमनारायण कहार	रिफायनरी ऑपरेटर	2012
43	ईश्वरसिंह पिता रामचन्द्र जी	प्रेप ऑपरेटर	2006
44	हरिनारायण पिता कालुरामजी	प्रेप ऑपरेटर	2006
45	अशोक विश्वकर्मा	आईल टैंक असिस्टेंन्ट	-
46	भगवानसिंह पंवार	गोडाउन सुपरवाईजर	-
47	राजेश पंवार	प्रेप ऑपरेटर	-
48	दीपक शर्मा	इलेक्ट्रिशियन	-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वार्ष्णेय, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2015

क्र. 1184-1981-2014-ए-सोलह .—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1184-1981-2014-ए-सोलह, दिनांक 9 सितम्बर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. वार्ष्णेय, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 9th September 2015

No. 1184 -1981-2014-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 43 of the Madhya Pradesh Industrial Relation Act, 1960 (27 of 1960) the State Government, hereby, notifies that no settlement was arrived in the Industrial dispute No. 2-MPIR-14 between Shri Nandkishore S/o Ramchandra and 47 Labours as mentioned in the table below against Dhan Laxmi Salvex Pvt. Ltd. Shajapur in regard to the Industrial matter included therein and specified in the Schedule below referred to the Conciliator for the Local area of Shajapur :—

TABLE

S. No.	Name of Labourer	Post	Year of Appointment
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nandkishore S/o Ramchandra Ji Maheswari	Barhana Supervisor	2006
2	Anoop S/o Narayan Prasad Sharma	Godown Supervisor	2006
3	Devisingh S/o Ratiramji Kushwaha	Boiler Operator	2011
4	Parmanand S/o Kesardas Bersi	Refinery Operator	2008
5	Nageshwar S/o Devilal Sharma	Godown Assistant	2008
6	Bharatsingh S/o Nagulal Poswal	S.E.P. Assistant	2011
7	Aabid Shah S/o Mannu Shah	Welder	2012
8	Shadab S/o Salim Ahamed	Refinery Assistant	2010
9	Pradeep Kumar S/o Ramesh Chadra Jain	Godown Assistant	2009
10	Rahul S/o Jagdish Chandra Goswami	E.T.P. Assistant	2006
11	Ramprasad S/o Ghasiram Devda	Boiler Operator	2011
12	Jagdish S/o Narayan Chouhan	Silo Assistant	2012
13	Ramprasad S/o Bhuwan Ji Choudhari	Refinery Operator	2011
14	Ramesh S/o Kanhaiyalal Choudhari	Refinery Operator	2011
15	Ramchandra S/o Chhitaji Chaudhari	Refinery Operator	2011
16	Visnu S/o Nagjiram Prajapati	Fireman Operator	2013
17	Gordhan S/o Nandram Ji Prajapati	Boiler Operator	2006
18	Vikram Singh S/o Bhagirath Ghatoda	S.E.P. Operator	2012
19	Shivraj S/o Kesar Sing Rathore	E.T.P. Assistant	2013
20	Ashok S/o Gendalal Choudhari	S.E.P. Assistant	2012
21	Praveen S/o Ramprasad ji Chaudhari	Welder	2012
22	Dinesh S/o Hari Porwal	Thermacool Operator	2011
23	Shakeel S/o Rasul Khan	S.E.P. Operator	2006
24	Jalam Singh S/o Mangilal Ji	Silo Operator	2013
25	Jakir S/o A. Ajij	Godown Supervisor	2006
26	Kamal Singh S/o Dhan Singh	Godown Supervisor	2011
27	Akhilesh S/o Moolchand Arya	Godown Supervisor	2012
28	Deepak S/o Kashiram Kushwaha	Prep Operator	2006
29	Shri Ram S/o Laxminarayan Verma	Godown Assistant	2010
30	Deepak S/o Mohanlal Maheswari	Godown Assistant	2011

(1)	(2)	(3)	(4)
31	Manoj S/o Kiran Singh Bhadoriya	Tolkanta Operator	2007
32	Mahesh S/o Ramchandra Sharma	Godown Assistant	2012
33	Mo. Shahnawaz S/o Mo. Sajid Khan	Commercial Assistant	2008
34	Rajesh S/o Babulaji	Prep Assistant	2013
35	Mo. Amir Habib S/o Mo. Jahid	Commercial Assistant	2008
36	Mahesh Rao S/o Datta Rao Thopte	Godown Supervisor	2007
37	Dilip S/o Kashirao Kushwaha	Laboratory Assistant	2006
38	R. N. Vishwakarma	S.E.P. Incharge	2012
39	Dinesh S/o Shiv Giri	Store Assistant	2006
40	Panav S/o Omprakash Ji Goswami	Fireman Operator	2013
41	Dharmendra S/o Brijkishore Sharma	E.T.P. Operator	2012
42	Mahesh S/o Premnarayan Kahar	Refinery Operator	2012
43	Ishwar Singh S/o Ramchandra Ji	Prep Operator	2006
44	Harinarayan S/o Kaluramji	Prep Operator	2006
45	Ashok Vishwakarma	Oil Tank Assistant	-
46	Bhagwan Singh Pawar	Godown Supervisor	-
47	Rajesh Pawar	Prep Operator	-
48	Deepak Sharma	Electrician	-

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
M. K. VARSHNEY, Principal Secy.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 अगस्त 2015

क्र. एफ-11-08-2014-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-08-2014-तीस, दिनांक 9 जून 2015 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

(2) शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

(3) अतः राज्य शासन मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	ग्राम-गरारू	शिव मंदिर	खसरा नं. 105	रकबा क्षेत्र 3.744 में से 0.100 है.	मध्यप्रदेश शासन मड-पहाड़	पूजा के अधीन है

क्र. एफ-11-11-2015-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-11-2015-तीस, दिनांक 23 मई 2015 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

(2) शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

(3) अत: राज्य शासन मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	टीकमगढ़	ओरछा	ग्राम-ओरछा	ओरछा की सुरक्षा प्राचीर.	664,1,3, 411	रकबा क्षेत्र 4.456 हेक्टेयर.	मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग.	नहीं

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2015

क्र. एफ-11-13-2015-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-13-2015-तीस, दिनांक 15 जून 2015 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

(2) शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

(3) अत: राज्य शासन मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	शिवपुरी	नरवर	ग्राम-सिकंदरपुर.	धर्म तलैया.	606	0.26 हेक्टेयर.	शासकीय	नहीं

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2015

क्र. एफ-11-05-2015-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-05-2015-तीस, दिनांक 23 मई 2015 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

(2) शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

(3) अत: राज्य शासन मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची

अनुसूची राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षक में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर	ग्राम-कन्देली.	शांति स्मारक पुस्तकालय	नजूल शीट क्र. 8, प्लॉट क्र. 22.	257272 वर्गफुट/23 901.484 व.मी.	डिस्ट्रिक्ट कौंसिल, (जिला पंचायत)	-

क्र. एफ-11-06-2015-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-06-2015-तीस, दिनांक 19 जून 2015 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

(2) शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

(3) अत: राज्य शासन मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची

अनुसूची राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षक में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	राजगढ़	राजगढ़	नेवज नदी के किनारे.	छारबाग की छत्री	527/860	0.202 हेक्टेयर	म. प्र. शासन	नहीं.

क्र. एफ-11-07-2014-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-07-2014-तीस, दिनांक 29 मई 2014 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

(2) शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

(3) अत: राज्य शासन मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षक में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	शिवपुरी	पिछोर	ग्राम-पिछोर	पिछोर का किला	4032	रकबा क्षेत्र 3.075	शासकीय	नहीं
मध्यप्रदेश	शिवपुरी	पिछोर	राजपुर	कुठियामठ (बौद्ध मठ)	02, मनपुरा	283/0.360	शासकीय	नहीं
मध्यप्रदेश	शिवपुरी	पिछोर	कछौआ	प्राचीन गढ़ी	खसरा 3.075	रकबा 4032	शासकीय	नहीं
मध्यप्रदेश	टीकमगढ़	ओरछा	ओरछा	रामनगर दरवाजा	खसरा नं. 1 में से रकबा 0.100 है.	0.100 हे.	मध्यप्रदेश शासन	नहीं

क्र. एफ-11-10-2015-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक एफ 11-10-2015-तीस, दिनांक 9 अप्रैल 2015 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

(2) शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

(3) अत: राज्य शासन मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची

अनुसूची राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षक में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	मंदसौर	मंदसौर	खिलचीपुरा	श्री धोलागिरी महादेव मंदिर	सर्वे क्र. 276 ग्राम-खिलचीपुरा मंदिर परिसर का क्षेत्रफल *157=290 45 वर्गफीट	गृहग्रह का क्षेत्रफल 12×12 =144	म. प्र. शासन	उक्त मंदिर में पुरातात्विक महत्व की कुबेर प्रतिमा होने से धनतेरस पर विशेष पूजा अर्जना होती जिसमें काफी संख्या में श्रृद्धालु आते हैं.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	मंदसौर	भानपुरा	अन्त्रालिया	चन्द्रावत की गढ़ी 2. चन्द्रावत की गढ़ी पत्थर की बाउन्ड्रीवाल	324 ''	15×15/7 5 वर्ग मी. 51×84 मी./4284 वर्ग मी.	आबादी भूमि	
मध्यप्रदेश	मंदसौर	भानपुरा	नीमथूर	शिव मंदिर क्रमांक 1	36	45×28मी. /1260 वर्ग मी.	आबादी	पुजारी नहीं
मध्यप्रदेश	मंदसौर	भानपुरा	नीमथूर	शिव मंदिर क्रमांक 1	127/1	8×5मी./40 वर्ग मी.	भरतराम पि. रामकिशन अहीर की खाता भूमि	पुजारी नहीं
मध्यप्रदेश	मंदसौर	भानपुरा	संधारा	जैन मंदिर	4390/1	20×20 फुट/400 वर्ग फुट	आबादी	कन्हैया लाल पि. मांगीलाल महा.
मध्यप्रदेश	मंदसौर	भानपुरा	नीमथूरा	लक्ष्मी नारायण मंदिर	26	15×40 मी. /600 वर्ग मी.	आबादी	बंशीलाल पि. रतन लाल ब्राम्हण नि. ग्राम.
मध्यप्रदेश	मंदसौर	भानपुरा	अन्त्रालिया	शिव मंदिर	1058	5×5मी./25 वर्ग मी.	शासकीय तालाब	पुजारी मांगीलाल पि. नानूराम ब्रा. नि. ग्राम
मध्यप्रदेश	मंदसौर	भानपुरा	संधारा	चतुर्भुज मंदिर	4391	20×20 फुट/400 वर्ग फुट	आबादी	पु. ओंकारलाल पि. लक्ष्मीनारायण पुजारी
मध्यप्रदेश	नीमच	नीमच भरभडिया	भरभडिया	फोर्ट भरभडिया	सर्वे क्रमांक 418, रकबा 11.55 मद् आबादी में स्थित है.	175×200 वर्गफीट में किला बना हुआ है. वर्तमान में खण्डहर है.	म. प्र. शासन	20×30 वर्गफीट में टीन शेड का पक्का पीर बाबाजी का स्थान बना हुआ है. जिसमें नियमित पूजा आदि होती है.

क्र. एफ-11-17-2015-तीस.—मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल,तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना में क्रमांक आर 1168-2952-2014-तीस, दिनांक 25 जून 2015 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

(2) शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है.

(3) अत: राज्य शासन मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (3) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है:—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	भिण्ड	गोहद	ग्राम-गोहद	इटायली प्रवेश द्वारा गोहद	1597	30×50 =1500	शासकीय	नहीं
मध्यप्रदेश	भिण्ड	गोहद	ग्राम-गोहद	खरौआ गेट	1718	30×50 =1500	शासकीय	नहीं
मध्यप्रदेश	भिण्ड	गोहद	ग्राम-गोहद	बिरखड़ी	1718	20×50 =1250	शासकीय	नहीं

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश प्रसाद मिश्रा, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2015

क्र. एफ-3-53-2014-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23''क'' की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक-एफ-3-53-2014-बत्तीस दिनांक 18 मार्च 2015 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित राजगढ़ विकास योजना, 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार है :—

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल एकड़ में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम जुगलपुरा	2/9/3, 2/9/4, 2/10/1/1, 2/10/2/1, 2/10/2/2,	5.966 हेक्टेयर	कृषि एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग
		योग . .	5.966 हेक्टेयर		

(1) यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 के अंतर्गत देय राशि रुपये 1,37,81,460/- (रुपये एक करोड़ सैंतीस लाख इक्यासी हजार चार सौ साठ रुपये मात्र) दिनांक 4 सितम्बर 2015 को भारतीय स्टेट बैंक ऑफ शाखा सारंगपुर जिला राजगढ़ के चालन क्रमांक 1121901 द्वारा राजकीय कोष में जमा कर दी है.

(2) राजगढ़-खुजनेर मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 31.58 मीटर होने के कारण वर्तमान मार्ग मध्य से 15.84 मीटर भूमि मार्ग के लिये छोड़कर किया जाये.

(3) प्रश्नाधीन भूमि में स्थित एच टी लाईन के नीचे किसी भी प्रकार का निर्माण न किया जाये.

(4) उपरोक्त उपांतरण राजगढ़ विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. मुदगल, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2015

फा. क्र. 1-6- 89-इक्कीस-ब(एक)-2513-2015.—स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1(6) 89-इक्कीस-अ(एक), दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल, 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 10, 38 एवं 52 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम	विशेष न्यायालय	स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)
"10.	श्री अविनाश कुमार खरे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, शाजापुर.	शाजापुर	शाजापुर
38.	श्री एम. एस. चन्द्रावत, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, रतलाम.	रतलाम	रतलाम
52.	श्री बिपिन बिहारी शुक्ला, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर.	अशोकनगर	अशोकनगर.".

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 1-6-89-XXI-B(1)-2513-2015.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this Department's Notification No. F. 1-6-89-XXI-A(1) dated 3rd April, 1998, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated the 17th April, 1998, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule, for serial No. 10, 38 & 52 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No.	Name and Designation of the Judge	Special Court	Local area Session Divisions
(1)	(2)	(3)	(4)
"10.	Shri Avinash Kumar Khare, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Shajapur.	Shajapur	Shajapur
38.	Shri M. S. Chandrawat, Spcial Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Ratlam.	Ratlam	Ratlam
48.	Shri Bipin Bihari Shukla, District & Sessions Judge, Ashoknagar.	Ashoknagar	Ashoknagar.".

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा. क्र. 17(ई)44-2013-इक्कीस-ब(एक)-2512-15.—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब (1) 3476-2013 दिनांक 11 सितम्बर, 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 29, 36 एवं 47 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

क्रमांक	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)
"29.	रतलाम	श्री एम. एस. चन्द्रावत, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, रतलाम.
36.	शाजापुर	श्री अविनाश कुमार खरे, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, शाजापुर.
47.	अशोकनगंर	श्री बिपिन बिहारी शुक्ला, जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अशोकनगर.

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 17(E)-44-2013-XXI-B (One) 2512-2015.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government, In consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this Department's Notification No. F. B(1)3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I dated

20th September, 2013, namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Table, for serial No. 29, 36 & 47 and entries relating thereto, the following serial numbders and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No. (1)	Name of District (2)	Name and Designation of the Judge (3)
"29.	Ratlam	Shri M. S. Chandrawat, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Ratlam.
36.	Shajapur	Shri Avinash Kumar Khare, Special Judge, Scheduled Castes, Schedule Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Shajapur.
47.	Ashoknagar	Shri Bipin Bihari Shukla, District & Sessions Judge, Ashoknagar."

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this Notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा. क्र. 17(ई)44-2013-इक्कीस-ब(एक)-2647, 2648-15.—राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब (1) 3476-2013 दिनांक 11 सितम्बर, 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 5, 14, 15, 27 एवं 46 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	विशेष न्यायाधीश का नाम (3)
"5.	भोपाल	श्री बी. एस. भदौरिया, सोलहवें अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल.
14.	ग्वालियर	श्रीमती रेणूका कंचन, दशम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर.
15.	हरदा	श्री अनिल कुमार मोहनिया, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, हरदा.
27.	रायसेन	श्री बी. आर. पाटिल, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायसेन.
46.	अनूपपुर	श्री अजय प्रकाश मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर."

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 17(E)-44-2013-XXI-B (One) 2647, 2648-2015.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government, In consultation with

the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department's Notification F. No. B(1)3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, Dated 20th September, 2013, Namely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Table, for serial No. 5, 14, 15, 27 and 46 and entries relating thereto, the following serial numbders and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No. (1)	Name of District (2)	Name and Designation of the Judge (3)
"5.	Bhopal	Shri B.S. Bhadoria, XVIth Additional Sessions Judge, Bhopal.
14.	Gwalior	Smt. Renuka Kanchan, Xth Additional Sessions Judge, Gwalior.
15.	Harda	Shri Anil Kumar Mohaniya, Special Judge, Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Harda.
27.	Raisen	Shri B. R.Patil, Ist Additional Sessions Judge, Raisen.
46.	Anuppur	Shri Ajay Prakash Mishra, Ist Additional Sessions Judge, Anuppur."

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this Notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा. क्र. 1-6-89-इक्कीस-ब(एक)-2649-2015.—स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89-इक्कीस-अ(एक), दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल, 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 3, 21, 48 एवं 50 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक (1)	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम (2)	विशेष न्यायालय (3)	स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड (4)
"3.	श्रीमती रेणूका कंचन, दशम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर
21.	श्री बी. आर. पाटिल, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रायसेन	रायसेन	रायसेन
48.	श्री अनिल कुमार मोहनिया, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जातियां/ अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, हरदा.	हरदा	हरदा
50	श्री अजय प्रकाश मिश्रा, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अनूपपुर	अनूपपुर	अनूपपुर."

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 1-6-89-XXI-B-1 2649-2015.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department's Notification No. F. 1-6-89-XXI-A(1) dated 3rd April, 1998, which was published, in the Madhya Pradesh Gazette Part-1 dated the 17th April, 1998, nemely:—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule for serial No. 3, 21, 48 & 50 and entries relating thereto, the following serial numbders and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No.	Name and Designation of the Judge	Special Court	Local area Session Divisions
(1)	(2)	(3)	(4)
"3.	Smt. Renuka Kanchan, Xth Additional Sessions, Judge, Gwalior.	Gwalior	Gwalior
21.	Shri B. R. Patil, Ist Additional Sessions Judge, Raisen	Raisen	Raisen
48.	Shri Anil Kumar Mohaniya, Special Judge, Scheduled Castes, Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, Harda.	Harda	Harda
50.	Shri Ajay Prakash Mishra, Ist Additional Sessions Judge, Anuppur.	Anuppur	Anuppur."

This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this Notification assumes the charge of his office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विरेन्दर सिंह, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

बड़वानी, दिनांक 20 मई 2015

क्र. 1007-2015.—बड़वानी जिले की नगरपालिका परिषद बड़वानी में निर्वाचित उपाध्यक्ष श्री महेश पिता बिहारीलाल जोशी निवासी बड़वानी नगरपालिका परिषद बड़वानी के उपाध्यक्ष पद के निर्वाचित अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 30-12-2013 को उपाध्यक्ष पद से स्वेच्छा से त्याग-पत्र देने एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 40 (1) के तहत त्याग-पत्र स्वीकार किया जाने से नगरपालिका परिषद बड़वानी के उपाध्यक्ष का पद रिक्त घोषित किया जाता है.

रवीन्द्र सिंह, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन) जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 4 सितम्बर 2015

क्र. 814-मण्डी-निर्वाचन-2015.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर, रतलाम, कृषि उपज मण्डी समिति के लिये अध्यक्ष, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रतलाम से प्राप्त

प्रस्ताव अनुसार कृषि उपज मण्डी जावरा के प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हूं:—

क्र.	मण्डी का नाम	नामनिर्दिष्ट सदस्यों का नाम एवं पता	प्रतिनिधि	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	103-जावरा	श्री भेरूलाल राजारामजी पाटीदार, निवासी पिपलोदा रोड जावरा, जिला रतलाम.	अध्यक्ष, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रतलाम.	धारा 11(ज) (5)

बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी) जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश

श्योपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2015

क्र. निर्वा.-मण्डी-2012-2015-1414.—जिले की स्तम्भ क्रमांक 2 में उल्लेखित कृषि उपज मंडी समिति के लिये स्तम्भ 4 में अंकित मनोनीति सदस्यों के लिये मंडी समिति के साधारण सम्मेलनों में भाग लेने हेतु सम्यक रूप से अधिकृत किया जाता है.

अतः मैं, पी. एल. सोलंकी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मंडी श्योपुर, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1)(घ) के अनुसरण में एतद्द्वारा सर्व-साधारण की जानकारी के लिये अधिसूचित करता हूं:—

क्र.	कृषि उपज मंडी समिति का नाम	मनोनीति करने वाले पदाधिकारी का नाम	मनोनीति सदस्य का नाम व पता
(1)	(2)	(3)	(4)
1	157-श्योपुर	श्री दुर्गालाल विजय विधायक विधान सभा क्षेत्र श्योपुर.	श्री हरनारायण जाट इन्फेंट जीसेस स्कूल के पास पाली रोड, श्योपुर.

पी. एल. सोलंकी, कलेक्टर.

कार्यालय, राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर, 2015

क्र. एफ-1-5-15-रा.स.-यू.ए.-1-1119.—मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है:—

(1)	प्रो. डी. पी. सिंह. संचालक, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद्, बैंगलौर—560072 (कर्नाटक).	समिति के अध्यक्ष.	कुलाधिपतिजी द्वारा नामांकित.
(2)	प्रो. इन्दर मोहन कपाही, सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दिल्ली—110033.	समिति के सदस्य.	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामांकित.
(3)	प्रो. के. एन. सिंह यादव, कुलपति, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा.	समिति के सदस्य.	कार्यपरिषद् द्वारा निर्वाचित.

2. कुलाधिपतिजी के द्वारा प्रो. डी. पी. सिंह को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी.

कुलाधिपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर के आदेशानुसार,
अजय तिर्की, राज्यपाल के प्रमुख सचिव.

राज्य शासन के आदेश

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 02 सितम्बर 2015

क्र.-6008-2015-अट्ठावन.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग का पत्र क्र. 13017-04-2014-Cr-II (Part-II) दिनांक 01 सितम्बर 2015 के परिपालन में विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक-4050-2015-अट्ठावन दिनांक 14 अगस्त 2015 के बिन्दु क्र. 3 के परिशिष्ट 1(अ) एवं 2(अ) में आंशिक संशोधन करते हुये ऋणी कृषकों के खरीफ फसल हेतु बीमा प्रस्ताव एवं प्रीमियम भेजने की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2015 से बढ़ाकर 7 सितम्बर 2015 की जाती है.

विभाग द्वारा जारी समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक-4050-2015-अट्ठावन, दिनांक 14 अगस्त 2015 की अन्य शर्तें यथावत् रहेंगी.

प्रवीर कृष्ण, प्रमुख सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 2015

क्र. एफ-10-01-2015-दो-ए(3).—नागरिकता (नागरिकों का पंजीकरण और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करना) नियमावली, 2003 के नियम 3 के उपनियम (4) के अनुसरण में मध्यप्रदेश शासन, एतद्द्वारा, जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने और उसे अद्यतन करने का निर्णय लेती है तथा स्थानीय रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सामान्य तौर पर रहने वाले सभी व्यक्तियों की संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए प्रदेश भर में घर-घर जाकर गणना करने संबंधी फील्ड कार्य दिनांक 16 नवम्बर 2015 से दिनांक 15 दिसम्बर 2015 तक सम्पन्न किया जाएगा.

F. No. F.-10-01-2015-(Two)A(3).—In pursuance of sub-rule (4) of rule 3 of the Citizenship (Registration of Citizens and issue of National Identity Cards Rules, 2003 the Govt. of Madhya Pradesh hereby decides to prepare and update National Population Register and the field work for house to house enumeration throughout the State for collection of information relating to all persons who are usually residing within the jurisdiction of Local Registrar shall be undertaken with effect from the 16th November 2015 to 15th December 2015.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

लक्ष्मीकान्त द्विवेदी, उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 16 सितम्बर 2015

क्र. 1974-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि बहुती नहर योजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण अधिनियम की धारा (4) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे.में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	मतहा	3.899	कार्यपालन यंत्री, राकफिल बॉध संभाग देवलोंद, जिला-शहडोल (म. प्र.)	बहुती नहर योजना की बहुती मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1976-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि बहुती नहर योजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण अधिनियम की धारा (4) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे.में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	हिनौती	22.7	कार्यपालन यंत्री, राकफिल बॉध संभाग देवलोंद, जिला-शहडोल (म. प्र.)	बहुती नहर योजना की बहुती मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1978-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि बहुती नहर योजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण अधिनियम की धारा (4) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे.में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	बिहारगंज	6.528	कार्यपालन यंत्री, राकफिल बॉध संभाग देवलोंद, जिला-शहडोल (म. प्र.)	बहुती नहर योजना की बहुती मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1980-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि बहुती नहर योजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण अधिनियम की धारा (4) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे.में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	जुडमानी	12.53	कार्यपालन यंत्री, राकफिल बॉध संभाग देवलोंद, जिला-शहडोल (म. प्र.)	बहुती नहर योजना की बहुती मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1982-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि बहुती नहर योजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण अधिनियम की धारा (4) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे.में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	छिरहाई	39.6	कार्यपालन यंत्री, राकफिल बॉध संभाग देवलोंद, जिला-शहडोल (म. प्र.)	बहुती नहर योजना की बहुती मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1984-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि बहुती नहर योजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण अधिनियम की धारा (4) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे.में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	नौगांव नं. 3	3.855	कार्यपालन यंत्री, राकफिल बॉध संभाग देवलोंद, जिला-शहडोल (म. प्र.)	बहुती नहर योजना की बहुती मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1986-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि बहुती नहर योजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण अधिनियम की धारा (4) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे.में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	नौगांव नं. 1	9.935	कार्यपालन यंत्री, राकफिल बॉध संभाग देवलोंद, जिला-शहडोल (म. प्र.)	बहुती नहर योजना की बहुती मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1988-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि बहुती नहर योजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण अधिनियम की धारा (4) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे.में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	डिगरहट	4.92	कार्यपालन यंत्री, राकफिल बॉध संभाग देवलोंद, जिला-शहडोल (म. प्र.)	बहुती नहर योजना की बहुती मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1990-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि बहुती नहर योजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण अधिनियम की धारा (4) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे.में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	अरगट	6.282	कार्यपालन यंत्री, राकफिल बॉध संभाग देवलोंद, जिला-शहडोल (म. प्र.)	बहुती नहर योजना की बहुती मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1992-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि बहुती नहर योजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण अधिनियम की धारा (4) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे.में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	नौगांव नं. 2	5.278	कार्यपालन यंत्री, राकफिल बॉध संभाग देवलोंद, जिला-शहडोल (म. प्र.)	बहुती नहर योजना की बहुती मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1994-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि बहुती नहर योजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण अधिनियम की धारा (4) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे.में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	खोड़री	1.782	कार्यपालन यंत्री, राकफिल बॉध संभाग देवलोंद, जिला-शहडोल (म. प्र.)	बहुती नहर योजना की बहुती मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1996-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है.

चूंकि बहुती नहर योजना का निर्माण कार्य पूर्व से चल रहा है, तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण अधिनियम की धारा (4) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है और इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित क्षेत्रफल लगभग (हे.में.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	अमरपाटन	नौगांव नं. 4	29.504	कार्यपालन यंत्री, राकफिल बॉध संभाग देवलोंद, जिला-शहडोल (म. प्र.)	बहुती नहर योजना की बहुती मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 2 सितम्बर 2015

पत्र क्र. 259-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम (2) में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम (3) में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है. चूंकि ग्राम गेरुआरी भूषण सिंह, रीवा जिले गंगेव उमरिहा मार्ग के कि.मी.2/2 में लहुरिया नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य पूर्ण करने हेतु. इस कारण अधिनियम के उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील—नईगढ़ी
(ग) नगर/ग्राम—गेरुआरी भूषण सिंह
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.036 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
40/1	0.018
40/2	0.018
योग . .	0.036

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है— रीवा जिले गंगेव उमरिहा मार्ग के कि.मी. 2/2 में लहुरिया नाले पर पुल एवं पहुंच मार्ग कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा एवं (प्लान) कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. सेतु रीवा के कार्यालय में में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 14 सितम्बर 2015

क्र. भू-अर्जन-01-(अ-82)-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मण्डला
(ख) तहसील—बिछिया
(ग) ग्राम—राजो माल प.ह.नं. 27
(घ) लगभग क्षेत्रफल—31.38 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
33/1	0.05
33/2	0.06
33/3	0.11
49/1	0.13
49/2	0.12
58/1	0.52
59	0.01
61	0.60
62	1.40
64	2.54
65	1.64
68	0.40
70	0.81
71	0.82
73	0.88
74	0.85
76	0.40

(1)	(2)
80	0.53
81	0.42
82	0.44
83	0.84
84	0.61
85	0.61
86	0.43
87	0.43
88	0.42
89/1	3.74
89/2	0.40
92	0.81
96	0.02
98	0.16
99	0.33
100/1	0.28
100/2	0.10
101	0.79
103/1	0.82
103/2	0.82
105	0.05
106/1	0.04
106/2	0.02
107	0.43
108	0.77
109/1	0.01
137	0.49
139	0.20
140/1	0.25
140/2, 140/3, 140/5	0.03
144	0.13
145	0.06
167	0.35
168/1	1.95
170/1	0.78
171	0.48
योग :	31.38

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है.—हालौन, सिंचाई परियोजना के जलाशय के पूर्ण जल स्तर पर डूब से प्रभावित होने वाली भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि का नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिछिया एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास हालौन संभाग बिछिया जिला मण्डला में किया जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-02-(अ-82)-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मण्डला
(ख) तहसील—बिछिया
(ग) ग्राम—राजो रैयत प.ह.नं. 27
(घ) लगभग क्षेत्रफल—111.26 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
41	0.04
42	0.17
52	0.12
54	0.05
65	0.52
66	0.55
67/3	0.15
68	0.94
70	1.96
71/1	0.35
71/2	0.45
71/3	0.40
71/4	0.32
71/5	0.30
73	0.82
74	0.21
76	0.80
79/1	3.12
79/2	0.51
82	0.26

(1)	(2)
83/1	1.34
83/2	0.20
84	1.91
85	1.04
86	1.29
87	2.35
88	0.16
89	0.16
90/1	0.51
90/2	2.00
90/3	0.30
91/1	0.70
91/2	0.40
93	1.10
95	0.35
96/1	0.67
96/2	0.66
97	1.92
98	1.63
101	1.48
102	1.00
104	2.56
105	1.34
106	0.70
107	1.15
108	0.70
109	1.80
110	1.80
112	3.66
114/1	1.38
114/2	0.40
114/162	1.20
115	0.61
116	0.65
118	0.94
121	3.43
122	4.22
123	2.95
124	1.32
125	3.52
126	0.27
127	0.24
128	0.18
129	0.18
130	0.16
131	4.14
134	1.09
136	1.69
137	1.15
138	0.44
139	2.55
140	2.31
141	0.65
142/1	0.60
142/2	0.59
142/3	0.59
142/4	0.59
142/5	0.59
143	0.29
144/1	0.55
144/2	0.09
145	0.42
146/1	1.00
146/2	1.06
146/3	1.00
147	0.60
148	0.51
149	0.44
150	0.42
151	6.46
152	2.43
153	0.80
154	0.60
155	0.71
156/1	0.40
156/2	0.40
156/3	0.52
159	2.36
160	4.65
योग . .	111.26

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—हालौन, सिंचाई परियोजना के पूर्ण जलस्तर पर डूब से प्रभावित होने वाली भूमि की आवश्यकता है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान)का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी बिछिया एवं कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास हालौन संभाग बिछिया जिला मण्डला में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 16 सितम्बर 2015

पत्र क्र. 2001-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—झाँझर 215
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.969 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
98/1, 98/2, 98/3	0.218
97	0.163
38/1, 38/2	0.196
37	0.077
34	0.036
33	0.036
42	0.030
30/1, 30/2, 30/3, 30/4	0.033
46/1, 46/2	0.014
44	0.023
45	0.112
43	0.019
49/1, 49/2	0.065
50/1, 50/2, 50/3, 50/4	0.072
51	0.013
83	0.028
82	0.008
75	0.122
78/1, 78/2, 78/3	0.099
77/1, 77/2	0.097
74	0.009
76/1, 76/2, 76/3, 76/4	0.044
73	0.070
72	0.103
70	0.122
69	0.162
141	0.198
142/1, 142/2	0.130
144/1, 144/2, 144/3	0.033
143	0.170
145	0.011
169/1, 169/2	0.030
168	0.105
167/1, 167/2, 167/3, 167/4	0.015
170/1, 170/2 170/3, 170/4	0.37
171/1, 171/2, 171/3, 171/4, 171/5	0.142
176/1, 176/2, 176/3, 176/4, 176/5, 176/6, 176/7	0.010
172/1, 172/2, 172/3 172/4, 172/5, 172/6, 172/7	0.371
383	0.034
173	0.009
174/1, 174/2, 174/3, 174/4	0.119
384/1, 384/2, 384/3	0.002
382	0.050

(1)	(2)
175/1, 175/2, 175/3, 175/4	0.001
375	0.213
374	0.180
373	0.005
326	0.012
327	0.050
329/1, 329/2	0.270
328/1, 328/2	0.023
324/1, 324/2	0.143
451/1, 451/2	0.046
452/1, 452/2	0.024
453	0.478
455	0.061
454	0.007
147	0.019

अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . . 4.969

ब—म. प्र. शासन की भूमि

ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . . 0.000

अ+ब का योग . .4.969

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2003-प्रका.-भू-अर्जन-2014-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान

(ग) ग्राम—लेडुआ 573

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.826 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
239	0.018
277	0.155
276	0.027
241/1/क, 241/1/ख, 241/2	0.063
275/2	0.073
244/1, 244/2, 244/3	0.001
245	0.011
246	0.017
247	0.032
248	0.051
252/1, 252/2	0.030
249	0.127
250/1, 250/2	0.037
259/1, 259/2, 259/3	0.034
262	0.038
261	0.068
260	0.107
207	0.021
213	0.048
212	0.039
211/1, 211/2	0.047
210	0.038
209	0.096
191/1, 191/2, 191/3, 191/4	0.164
190/1, 190/2, 190/3	0.002
183	0.105
194/1, 194/2	0.002
192	0.052
193	0.061
179	0.167
196	0.088
177/1, 177/2	0.021
180	0.001
178	0.157
175/1, 175/2	0.048

(1)	(2)
176	0.031
174	0.075
173/1, 173/1/क, 173/1/ख 173/2, 173/3	0.035
165/1, 165/1/क, 165/2	0.012
164	0.007
162	0.039
163	0.260
21/1/क, 21/1/ख, 21/2, 21/3, 21/4	0.254
20/1, 20/2	0.137
19	0.614
18	0.028
47/1, 47/2	0.156
48	0.223
49	0.156
68, 68/1, 68/2, 68/3	0.027
69/1, 69/2	0.014
13/1, 13/1/क, 13/2	0.615
12/1, 12/2	0.055
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	4.784
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
22	0.042
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.042
अ+ब का योग .	.4.826

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती मुख्य नहर के अन्तर्गत अमिलकी वितरक" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2005-प्रका.-भू-अर्जन-15.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

संशोधित अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—अमरपाटन

(ग) ग्राम—कोठार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.897 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
354/1, 354/2	0.168
356/1, 356/2	0.047
355	0.074
357	0.034
348	0.452
343/1, 343/2	0.069
347	0.344
346/369	0.028
346	0.151
215	0.143
226	0.008
216	0.017
217	0.114
218	0.027
219	0.040
222	0.099
220/1, 220/2	0.328
221	0.013
202/1/क, 202/1/ख 202/2/क, 202/2/ख	0.244
143/1, 143/2	0.447
137	2.011
16	0.061
153/1, 153/2	0.044
155/1, 155/2	0.155
156	0.002
134/1, 134/2 134/3/क, 134/3/ख	0.325
131	0.003

(1)	(2)
18	0.176
19/1, 19/2	0.048
133	0.360
28/1/1, 28/1/2, 28/1/3, 28/2, 28/3	0.149
29/1, 29/2	0.001
132	0.352
64	0.120
65	0.004
36/1/1, 36/1/2, 36/2, 36/3	0.073
52/1/1, 52/1/2, 52/2	0.095
38/1, 38/2, 38/3, 38/4, 38/5, 38/6, 38/7	0.027
51/1/1, 51/1/2, 51/1/3 51/1/4, 51/2/1, 51/2/2, 51/3, 51/4, 51/5/1, 51/5/2, 51/5/3, 51/6, 51/7/1, 51/7/2, 51/8, 51/9, 51/10/1, 51/10/2	0.409
48/1, 48/2	0.048
49/1/1, 49/1/2, 49/1/3, 49/1/4, 49/1/5, 49/1/6, 49/1/7, 49/2, 49/3	0.026
50/1/1, 50/1/2, 50/1/3, 50/1/4, 50/1/5, 50/1/6, 50/1/7, 50/1/8, 50/2, 50/3	0.197
47/1, 47/2, 47/3	0.003
85/1/1, 85/1/2 85/1/3, 85/1/4 85/2/क/1, 85/2/क/2, 85/2/क/3, 85/2/ख, 85/3	0.124
46	0.001
41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 41/8, 41/9.	0.114
40/1, 40/2	0.062
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	7.837
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
239	0.045
144	0.015
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.060
अ+ब का योग .	7.897

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2007-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

संशोधित अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना
(ख) तहसील—अमरपाटन
(ग) ग्राम—कोरिगवां
(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.681 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
871/1, 871/2, 871/3	0.035
870/1, 870/2, 870/3	0.144
855/1, 855/2, 853/3/क, 853/3/ख	0.077
869/1, 869/2, 869/3	0.154
868/1, 868/2	0.094
867/1, 867/2, 867/3	0.190
866/1/क, 866/1/ख, 866/2	0.002
876/1, 876/2, 876/3	0.197
882/1, 882/2	0.001
880/1, 880/2	0.073
881/1, 881/2	0.095
893	0.213

(1)	(2)
892	0.046
891	0.077
890/1, 890/2, 890/3, 890/4	0.503
889	0.080
817/1, 817/2	0.127
818/1, 818/2	0.074
430/1, 430/2	0.096
429/1, 429/2	0.106
428	0.050
427	0.097
426/1, 426/2	0.057
438	0.023
439	0.002
425/1, 425/2	0.064
424	0.075
423	0.051
441/1, 441/2	0.003
442	0.003
422/1, 422/2	0.064
443	0.004
421/1, 421/2	0.036
444	0.003
296	0.336
295	0.020
294/1	0.303
294/2	0.128
305	0.021
304/1, 304/2, 304/3	0.027
308	0.217
307	0.098
252/1, 252/2, 252/3	0.033
253	0.080
255	0.043
254/1, 254/1/क, 254/1/ख, 254/2/क, 254/2/ख, 254/2	0.221
249/1/क, 249/1/ख, 249/2	0.068
248/1, 248/2	0.075
239/1, 239/2	0.104
238/1, 238/2	0.084
240/1, 240/2/क, 240/2/ख, 240/2/ग, 240/2	0.100
241/1/क, 241/1/ख, 241/2	0.004

(1)	(2)
237	0.114
235/1, 235/2	0.180
236/1, 236/2	0.023
234	0.093
233	0.009
229	0.008
262/1, 262/2	0.065
225	0.082
224	0.042
223	0.015
222/1, 222/2	0.048
221	0.063
183	0.004
184/1	0.013
184/2	0.008
217/1/क, 217/1/ख 217/2	0.003
190/1, 190/2, 190/3	0.039
191	0.019
216/1, 216/2	0.001
199	0.001
194/1, 194/2, 194/3	0.036
197	0.024
198	0.009
12	0.134
11	0.005
293/1, 293/2	0.006
293/1233	0.003
549	0.034
550	0.022
548	0.008
547	0.005
558	0.052
551	0.001
557	0.061
556	0.005
555	0.004
283	0.013
281	0.017
282	0.013
279	0.022
278	0.035
157/1, 157/2, 157/3	0.065
156	0.028
153	0.039
155	0.007

(1)	(2)
152	0.086
150	0.092
149	0.034
144/1, 144/2	0.050
145	0.011
114/1 114/2/ख 114/2/क	0.027
115	0.168
107/1, 107/2	0.006
105	0.048
101/1, 101/2	0.120
98	0.005
99/1, 99/2, 99/3, 99/4, 99/5	0.057
97/1, 97/2	0.005
100	0.003
96/1, 96/2	0.203
124	0.318
68/1/क, 68/1/ख 68/1/ग, 68/1/घ, 68/2	0.066
66/1222/1	0.026
66/1222/2	0.026
66/1222/3	0.026
66/1222/4	0.033
67/1, 67/2/क/1, 67/2/क/2, 67/2/क/3, 67/2/क/4, 67/2/ख	0.201
46/1/क/1, 46/1/क/2 46/1/ख, 46/1/ग, 46/1/घ, 46/2	0.091
47/1/क, 47/1/ख, 47/1/ग, 47/1/घ, 47/2	0.077
45/1, 45/2, 45/3, 45/4, 45/5	0.045
88	0.023
87	0.070
928	0.033
926	0.008
927	0.061
938	0.008
941	0.001
939	0.058
940	0.087
789	0.002
950	0.052
768	0.015
951	0.059
767	0.006
953/1, 953/2	0.123
955	0.049
956	0.042
959	0.082
748	0.042
961	0.001
986	0.037
1007	0.001
988	0.050
987	0.014
989	0.032
990/1, 990/2, 990/3	0.084
991	0.001
992	0.049
993/1, 993/2	0.006
1004	0.047
1000	0.021
1003	0.103
1002	0.045
1035	0.090
1034	0.003
1040	0.117
705	0.136
704	0.430
747	0.048
736/1/क, 736/1/ख	0.040
736/2/1, 736/2/2, 736/2/3, 736/2/4	0.094
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	10.450
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
332	0.081
10	0.027
333/1241	0.032
290	0.028
276	0.031
1025	0.032
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.231
अ+ब का योग . .	10.681

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—"बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक" में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 2009-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

संशोधित अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—अमरपाटन

(ग) ग्राम—रिमार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.894 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
565	0.124
566/1, 566/2, 566/3	0.451
567/1, 567/2	0.316
569	0.618
570/1, 570/2, 570/3	0.010
572	0.014
571	0.322
275	0.011
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	1.866
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
599	0.028
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.028
अ+ब का योग . .	1.894

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1999-प्रका.-भू-अर्जन-2015.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा, घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सतना

(ख) तहसील—अमरपाटन

(ग) ग्राम—कुसमहट

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.673 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
अ—निजी पट्टे की भूमि	
503/1, 503/2	0.178
502/1, 502/2	0.179
501/1, 501/2	0.266
अ. निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.623
ब—म. प्र. शासन की भूमि	
465	0.024
481	0.026
ब. म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.050
अ+ब का योग . .	0.673

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—''बहुती नहर के अन्तर्गत बेला वितरक'' में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.एल. साकेत, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 31 अगस्त 2015

क्र. C-3710-दो-14-1-2015.—मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना के निम्नलिखित सहायक ग्रेड एक की पदोन्नति अनुभाग अधिकारी के रिक्त पद पर वेतनमान रु. 6500-200-10,500 (पुनरीक्षित वेतनबैंड रु. 9,300-34800+ग्रेड पे रु. 4200 में, अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त, कॉलम नं. (3) पर दशाई गई स्थापना पर इस शर्त से साथ की जाती है कि वे आदेश जारी होने के दिनांक से पदोन्नत पदस्थापना पर 15 दिवस के अन्दर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करेंगे. यदि वे निर्धारित समयावधि में पदोन्नत पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो यह माना जावेगा कि वे पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करना नहीं चाहते हैं एवं भविष्य में उनकी पदोन्नति पर एक वर्ष तक विचार नहीं किया जावेगा:—

क्र.	नाम एवं स्थान	पदोन्नति पर पदस्थापना का स्थान	टीप
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री एस.बी.एस. बघेल, मुख्यपीठ, जबलपुर.	मुख्यपीठ, जबलपुर	रिक्त पद पर.
2	श्री एस. एल. तिवारी, मुख्यपीठ, जबलपुर.	खण्डपीठ, इन्दौर	रिक्त पद पर.
3	श्री एस. एल. वर्मा, मुख्यपीठ, जबलपुर.	खण्डपीठ, इन्दौर	रिक्त पद पर.
4	श्री एस. पी. ताम्रकार, मुख्यपीठ, जबलपुर.	खण्डपीठ, ग्वालियर	रिक्त पद पर.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2015

क्र. B-3969-दो-2-32-2014.—श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 5 से 7 अगस्त 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में 8 एवं 9 अगस्त 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2015

क्र. B-3996-दो-2-30-2012.—श्री पी. एस. कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को दिनांक 31 अगस्त से 4 सितम्बर 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 एवं 30 अगस्त 2015 के एवं अवकाश के पश्चात् में 5 एवं 6 सितम्बर 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. कुशवाह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-3998-दो-2-53-2014.—श्री के. पी. सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 24 से 28 अगस्त 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 अगस्त 2015 के तथा अवकाश के पश्चात् में 29 एवं 30 अगस्त 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. पी. सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. पी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-4000-दो-2-14-2014.—श्री अमर नाथ, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, गुना को दिनांक 3 से 5 अगस्त 2015 तक तीन दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. B-4005-दो-2-49-2009.—श्री जगदीश बाहेती, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को दिनांक 29 जुलाई 2015 से दिनांक 1 अगस्त 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का कम्पुटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 अगस्त 2015 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री जगदीश बाहेती, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्पुटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जगदीश बाहेती उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B-4805-दो-2-24-2014.—श्री अरूण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को दिनांक 28 से 29 जुलाई 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2015

क्र. B-4010-दो-2-37-2014.—श्री ओ. पी. सुनरया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को दिनांक 27 जुलाई 2015 से 1 अगस्त 2015 तक छः दिन के पूर्व स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 2 से 6 अगस्त 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ओ. पी. सुनरया, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओ. पी. सुनरया उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2015

क्र. B-4043-दो-2-32-2010.—श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल को दिनांक 31 जुलाई 2015 से दिनांक 5 अगस्त 2015 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती कनकलता सोनकर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती कनकलता सोनकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
व्ही. बी. सिंह, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 1 सितम्बर, 2015

क्र. 840-गोपनीय-2015-दो-2-1-2015 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री भारत भूषण श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, छतरपुर को, उनके कार्य के अतिरिक्त, छतरपुर जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री भारत भूषण श्रीवास्तव को छतरपुर सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री भारत भूषण श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, छतरपुर की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे.

क्र. 841-गोपनीय-2015-दो-2-1-2015 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव (जूनियर), विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिंदवाड़ा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को, उनके कार्य के अतिरिक्त, छिन्दवाड़ा जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णत: अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव (जूनियर) को छिन्दवाड़ा सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव (जूनियर), विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे.

क्र. 842-गोपनीय-2015-दो-2-1-2015 (भाग-ए).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्रीमती सुनीता यादव, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, ग्वालियर को, उनके कार्य के अतिरिक्त, ग्वालियर जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णत: अस्थाई रूप से, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, पदस्थ करता है.

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्रीमती सुनीता यादव, को ग्वालियर सत्र न्यायालय में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है.

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्रीमती सुनीता यादव, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, ग्वालियर की हैसियत से पदस्थ मानी जावेंगी.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
वेद प्रकाश, रजिस्ट्रार जनरल.